LL.B. IV Sem

Subject - The Industrial Dispute Act - 1947

Topic - Reference of Disputes (विवादों का निर्देशन) - (Section 10, 10A)

→ Meaning (अर्थ) - औद्योगिक विवाद से सम्बद्ध पक्षकार अपने विवाद को प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय, अधिकरण, या बोर्ड में प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे क्योंकि समुचित सरकार ऐसे विवादों को प्रस्तुत करती है अतः जब तक समुचित सरकार ऐसे विवादों के निस्तारण की अनुमति न दे तब तक पक्षकार ऐसे मामलों का जो औद्योगिक विवाद से सम्बन्धित हो, निस्तारण नहीं करा सकेंगे।

→ इसलिए धारा (10) समुचित सरकार को यह शक्ति देती है कि वह औद्योगिक विवाद से सम्बन्धित मामलों को जो उत्पन्न हो या विवाद उत्पन्न होने की आशंका हो उन्हें श्रम न्यायालय, औद्योगिक अधिकरण, समझौता बोर्ड या समझौता अधिकारी को निर्देशित करें।

समुचित सरकार द्वारा किया जाने वाला निर्देशन - ① औद्योगिक विवाद को निपटाने हेतु बोर्ड को निर्देशन

② किसी जाँच हेतु जाँच न्यायालय को निर्देशन

③ श्रम न्यायालय को निर्देशन (द्वितीय अनुसूची)

④ औद्योगिक अधिकरण को निर्देशन (द्वितीय एवं तृतीय अनुसूची के विषय)

परन्तु (Proviso) यदि कोई विवाद तृतीय अनुसूची में निर्दिष्ट है और उसका प्रभाव 100 से अधिक कर्मकारों पर पड़ता हो तो यदि समुचित सरकार ठीक समझती है तो उस मामले को न्यायनिर्णयन के लिए श्रम न्यायालय को सुपुर्द कर सकती है।

⑤ राष्ट्रीय अधिकरण को निर्देशन निम्न शर्तों के अधीन - (द्वितीय एवं तृतीय अनुसूची के विषय)

(i) औद्योगिक विवाद अस्तित्व में है या आशंका है

(ii) विवाद में राष्ट्रीय महत्व का विषय है

(iii) एक से अधिक राज्यों स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों का हित निहित है

(iv) केन्द्रीय सरकार ऐसे मामलों का न्यायनिर्णयन राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा उपयुक्त समझती है।

समुचित सरकार की निर्देशन में निहित अन्य शक्तियां –

(1) Sec 10(2) समुचित सरकार निर्देशन में यह आदेश भी दे सकती है कि श्रम न्यायालय, अधिकरण, या अन्य प्राधिकारी मामले का निपटारा एक निश्चित अवधि में करें।

(2) Sec 10(3) जहाँ कोई औद्योगिक विवाद बोर्ड, श्रमन्यायालय, अधिकरण को संदर्भित किया गया है वहाँ समुचित सरकार उस उद्योग के पहले से चली जारी तालाबंदी एवं हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगा सकती है

(3) Sec 10(4) में समुचित सरकार को यह शक्ति दी गयी है कि जहाँ किसी मामले को संदर्भित किया गया है और समुचित सरकार किसी विशेष बिन्दु पर ही निस्तारण चाहती है वहाँ उसी बिन्दु पर निर्णय देगा।

(4) 10(5) जहाँ कोई विवाद को निर्देशित किया गया है तथा उस विवाद को प्रभाव अन्य औद्योगिक संस्थानों पर पड़ता है या उस विवाद के निस्तारण पर पंचाट का प्रभाव एक से अधिक संस्थानों पर पड़ता है तो उस प्रतिष्ठानों को भी उस निर्देशन में समुचित सरकार सम्मलित कर सकती है।

(5) 10(6) जहाँ किसी औद्योगिक विवाद को राष्ट्रीय अधिकरण को निर्देशित किया गया है वहाँ उस विवाद को श्रम न्यायालय या अधिकरण द्वारा नहीं सुना जायेगा या उस पर न्याय-निर्णयन करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।

समुचित सरकार की विवेकीय शक्ति
(Discrenary Powers of Appropriate Government)

निर्देशन ~~की शक्ति~~ समुचित सरकार की विवेकीय शक्ति है अतः सरकार पर यह जिम्मेदारी है की वह औद्योगिक संस्थानों में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न हो तथा Employer ~~एवं~~ एवं Employee के बीच सम्बन्ध मधुर हो और औद्योगिक शान्ति बनी रहे। जहाँ किसी प्रतिष्ठान में कोई विवाद उत्पन्न है या उसकी आंशका है तथा समुचित सरकार उसका निर्देशन उचित नहीं समझती वहाँ पक्षकार उस मामले के निर्देशन हेतु सरकार को बाध्य नहीं कर सकते। यह पूर्ण रूप से सरकार का विवेक है कि मामले को संदर्भित किया जाय या नहीं। फिर भी विगत वर्षों में न्यायालय के विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय जो समुचित सरकार को ~~[illegible]~~ मार्गदर्शित करते हैं –

Case- सेक्रेटरी इण्डियन टी एसोसिएशन बनाम अजीत कुमार भारत (AIR, 2000 SC Page 507)

सरकार के निर्देशन का कार्य प्रशासनिक है अतः उत्प्रेषण लेख सरकार के निर्णय को ठीक करने के लिए जारी नहीं की जा सकती लेकिन यदि समुचित सरकार निर्देशन करते समय किसी बाह्य या असम्बन्धित कारणों से प्रभावित है तो सरकार के इस कार्य को चुनौती दी जा सकती है।

Case- मद्रास राज्य बनाम सी० पी० सारथी (AIR, 1953 SC. 53)

न्यायालय ने कहा विवाद का अस्तित्व में होना जरूरी नहीं है यदि उसकी आशंका पक्षकार द्वारा आवेदन करते समय थी तो सरकार को मामले का निर्देशन करना चाहिए।

Case- ए.एल. प्रोडक्शन एजेन्सीज V/S औद्योगिक अधिकरण (AIR 1979, SC 170)

यदि समुचित सरकार ने एक बार निर्देशन करने पर इन्कार कर दिया वहाँ यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता की औद्योगिक विवाद अस्तित्व में नहीं है। समुचित सरकार अपने निर्णय का पुनरावलोकन कर सकती है।

निर्देशन की वैधता को चुनौती के आधार (Grounds of challenge for legality of Reference)

(1) निर्देशन समुचित सरकार द्वारा होना चाहिए अर्थात राज्य सरकार या केन्द्र सरकार अन्यथा निर्देशन अवैध होगा।

(2) जहाँ विवाद औद्योगिक नहीं है वहाँ निर्देशन पर चुनौती दी जा सकती है।

(3) जहाँ Malafide Reference समुचित सरकार द्वारा किया गया हो

(4) जिस Industry के विवाद का निर्देशन किया गया है वह Industry चलनी चाहिए अर्थात निर्देशन करते समय अस्तित्व में हो। living

(5) समुचित सरकार द्वारा निर्देशन का आदेश written होना चाहिए

(6) निर्देशन से पूर्व समुचित सरकार इस सम्बन्ध में अपना अभिमत या दृष्टिकोण बनाती है यदि सरकार ने अपना अभिमत नहीं बनाया है तो निर्देशन त्रुटिपूर्ण माना जायेगा।